संख्या-4941/नौ-5-2013-108सा/09

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश(द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 24 नवम्बर, 2013

विषय : बायो गैस की तकनीकी द्वारा उत्तर प्रदेश के नागर निकायों में पशुवधशालाओं/सीवर लाइनों/सामुदायिक शौचालयों तथा सभी प्रकार के सड़ने गलने वाले द्रव व ठोस पदार्थो के ट्रीटमेन्ट एवं बायो गैस संयन्त्रों के निर्माण हेतु इण्टरनेशनल बायो गैस इंटरप्राइजेज, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नेशनल बायोगैस इंटरप्राइजेज, लखनऊ द्वारा दिनांक 22.11.2012 को अपने संदर्भित कार्यो के संदर्भ में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात् प्रकरण में निम्नवत् विचार-विमर्श हुआ तथा निर्णय लिए गए-

(1) इस तकनीक का प्रयोग असेवित क्षेत्रों, बारात घर, डेरी आदि में किया जा सकता है जहाँ पर बड़ी परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा हो तथा जो जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी एवं यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के अन्तर्गत क्रियान्वित परियोजनाओं से आच्छादित न हो। इसे प्रदेश की नगर पंचायतों में क्रियान्वित करने पर विचार किया जा सकता है।

(2) तकनीक का लाभ बीएसयूपी तथा आईएचएसडीपी के अन्तर्गत बनने वाले मकानों के छोटे-छोटे समूह में भी किया जा सकता है।

(3) इस तकनीक का प्रयोग करने के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था/फण्डिंग पैटर्न के सम्बन्ध में मत स्थिर हुआ कि इसका फण्डिंग पैटर्न 90:10 रखा जा सकता है। अर्थात् 90 प्रतिशत अंश भारत सरकार (यदि संभव हो) अथवा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाय तथा 10 प्रतिशत अंश सम्बन्धित कम्यूनिटी/सासायटी/लाभार्थी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा वहन किया जाय। भारत सरकार से वित्त पोषण के सम्बन्ध में सभी संभव प्रयास किया जाय तथा इस हेतु श्री हीरा लाल, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा सभी संभावनाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाना भी निर्णीत हुआ।

(4) मत स्थिर हुआ कि इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि की व्यवस्था सम्बन्धित कम्यूनिटी/सोसायटी/लाभार्थी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा की जाएगी।

(5) कुल लगभग 20 घरों के समूह को लेते हुए कार्यदायी संस्था की 10 प्रतिशत प्रत्याभूति की राशि जमा करने पर योजना का कियान्वयन किया जा सकता है।

(6) इस योजना से लाभान्वित होने वाले घरों से निश्चित धनराशि सेवा के बदले ली जा सकती है। (यूजर चार्जेज के रूप में)

(7) ओ. एण्ड एम. पर आने वाले व्यय को भी सम्बन्धित कम्यूनिटी/सासायटी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा लाभार्थियों से सामानुपातिक रूप में लिया जा सकता है।

(8) इस योजना के स्थानीय स्तर पर क्रियान्वयन हेतु एक प्रबंध समिति के गठन पर भी विचार किया जा सकता है जिसके सदस्य कम्यूनिटी/सोसायटी अथवा स्थानीय निकाय से चुने जा सकते हैं।

2- उक्त प्रस्तुतीकरण में यह भी विचार-विमर्श हुआ था कि नगर निगम, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा संस्था द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजना के स्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट शासन को

उपलब्ध कराया जायगा। तत्क्रम म नगर निगम, लखनऊ के अधिकारियों द्वारा संस्था द्वारा नगर पंचायत, फतेहपुर जनपद बाराबंकी में स्थापित बायोगैस संयंत्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीम का अभिमत है कि उक्त कार्य न्यून लागत पर संस्था की तकनीक द्वारा बायोगैस तकनीक से पशुवधशाला, सामुदायिक शौचालय, सीवर लाइन एवं अन्य जैव-डिग्रेडेवल द्रव्य व ठोस अपशिष्टों के प्रसंस्करण के जरिये ईधन गैस व जैविक खाद पर्यावरण हितैषी उत्पादों सहित उक्त अपशिष्टों के सम्पूर्ण निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है। संस्था द्वारा पूर्व वर्षो में स्थापित विभिन्न संयंत्रों का रखरखाव स्वयं किया जा रहा है, जिसके दृष्टिगत नगरीय निकायों में उक्त तकनीकी पर आधारित संयंत्रों की स्थापना/निर्माण कराया जाना पर्यावरणीय दृष्टि से जनहित में उपयुक्त व लाभकारी होगा।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फर्म/संस्था द्वारा किये गये कार्यो/तकनीक का उपयोग प्रथम फेज में यथावश्याकता छोटी निकायों में कराने का कष्ट करें, जिससे निकाय संस्था की तकनीक का उपयोग कर लाभ उठा सकें। संस्था के कार्यो/तकनीक का उपयोग करते समय प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मानकों को पूरा किया जायेगा।

भवदीय,

(**श्रीप्रकाश सिंह**)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-4941(1)/नौ-5-2013-108सा/09, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनके पत्र दिनांक तक.सेल/3474/295/09 दिनांक 20.02.2009 के क्रम में।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक/प्रमुख, इंटरनेशनल बायोगैस इंटरप्राइजेज, पुरानी बांसमण्डी, निकट टी.जी.हास्टल, सीतापुर रोड, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उत्तर प्रदेश की नागर निकायों से सम्पर्क स्थापित कर अपना तकनीकी सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।